संख्या– /IV(2)-श0वि0–2017-74(सा0) 14

प्रेषक,

नितेश कुमार झा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
स्मार्ट सिटी लिमिटेड,
देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 18 दिसम्बर, 2017

विषयः "स्मार्ट सिटी मिशन" देहरादून हेतु गठित उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (एच0पी0एस0सी0) एवं विशेष प्रयोजन साधन (एस0पी0वी0) को प्रशासकीय एवं वित्तीय शक्तियों का प्रतिनिधायन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि "स्मार्ट सिटी मिशन" के अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत शासनादेश संख्या 842/IV(2)-श0वि0–17–74(सा0)/14 दिनांक 20.07.2017 द्वारा **High Powered Steering Committee** (HPSC) एवं शासनादेश संख्या 841/IV(2)-श0वि0–17–74(सा0)/14 दिनांक 20.07.2017 के द्वारा **Special Purpose Vehicle (SPV)** का गठन किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (HPSC) एवं विशेष परियोजना साधन (SPV) तथा बोर्ड द्वारा शक्तियों का प्रतिनिधायन किये जाने तक **देहरादून स्मार्ट सिटी लि0 के सी0ई0ओ0** को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तिया प्रतिनिधायित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1– परियोजना का अनुश्रवण राज्य सरकार की ओर एच0पी0एस0सी0 करेगी तथा शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के "स्मार्ट सिटी मिशन विवरण और दिशा–निर्देश" में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जिन मामलों में राज्य सरकार का अनुमोदन अपेक्षित हो उन्हें स्मार्ट सिटी के लिए **राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (HPSC)** को प्रत्यायोजन किया जाता है एवं निम्नलिखित शक्तियां राज्य सरकार की ओर से निहित की जाती हैं:–

(i) कम्पनी के वार्षिक बजट पर सहमति देना।
(ii) कम्पनी द्वारा विभिन्न लाईन डिपार्टमेन्ट से सम्बन्धित कार्यों हेतु उनका मूल्यांकन करना कम्पनी द्वारा यथानिर्दिष्ट संदर्भित प्रकरणों पर भी सहमति देना।
(iii) कम्पनी द्वारा करवाये जाने वाले कार्यों को चिन्हित कर अपने स्तर से भी कम्पनी को निर्दिष्ट करना।
(iv) अन्तर्विभागीय सामन्जस्य को स्थापित करना एवं राज्य सरकार की ओर से यह **Commitment** देना कि कम्पनी द्वारा पूर्ण किये गये कार्यों को लाईन डिपार्टमेन्ट को हस्तान्तरित किया जायेगा एवं भविष्य में वे ही इसका अनुरक्षण एवं रख–रखाव करेंगे।
(v) अन्य समस्त प्रकरणों पर निर्णय लिया जाना जो समय–समय पर कम्पनी के बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये हों। यदि समिति किसी प्रकरण पर राज्य सरकार की सहमति आवश्यक समझती हो तो ऐसे प्रकरण राज्य सरकार को संदर्भित करना।

3– **देहरादून स्मार्ट सिटी लि0 विशेष परियोजना साधन (SPV):–**

(i) स्मार्ट सिटी परियोजना से सम्बन्धित एवं स्मार्ट सिटी के प्रयोजन हेतु स्मार्ट सिटी क्षेत्र में नगर निगम को प्राप्त अधिकार एवं दायित्व।

(ii) स्मार्ट सिटी परियोजना के सम्बन्ध में एवं स्मार्ट सिटी के प्रयोजन हेतु स्मार्ट सिटी क्षेत्र में नगर निगम क्षेत्र मे निर्णय लेने की शक्तियां।

4– बोर्ड द्वारा शक्तियों का प्रतिनिधायन किये जाने तक **देहरादून स्मार्ट सिटी लि0 के सी0ई0ओ0** को निम्नलिखित शक्तियां प्रदान की जाती है:–

(i) सभी परियोजनाओं को चिन्हित कर वित्तीय सीमाओं के अन्तर्गत सक्षम स्तर यथा–HPSC/बोर्ड से वांछित अनुमोदन प्राप्त करना।

(ii) कम्पनी के समस्त कार्यों हेतु कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करना, इसके तहत राजस्व व्यय हेतु पूर्ण अधिकार।

(iii) सक्षम स्तर पर अनुमोदित निविदाओं का समय–समय पर चलित भुगतान करना।

(iv) कम्पनी की ओर से किसी भी पट्टे/लेखे को हस्तान्तरित करना।

5– आलोच्य वर्ष के बजट के सीमान्तर्गत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति/अनुमोदन का स्तर निम्नवत होगा :–

क.सं.	कार्य	सक्षम स्तर	वित्तीय सीमा
1	परियोजना	(1) सी0ई0ओ0	₹ 1.00 करोड़ तक
		(2) बोर्ड	A) ₹1.00 करोड़ से ₹ 5.00 करोड़ तक B) ₹ 5.00 करोड़ से अधिक जोकि एच0पी0एस0सी0 की सहमति से होगा।
2	कन्सलटेन्सी	तदैव	तदैव
3	पी0पी0पी0 परियोजना	बोर्ड	A) ₹5.00 करोड़ तक B) ₹ 5.00 करोड़ से अधिक जोकि एच0पी0एस0सी0 के अनुमोदन से होगा।

6– निविदा स्वीकृति के अनुमोदन का स्तर–प्रशासनिक/वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त परियोजनाओं/कन्सलटेन्सी/पी0पी0पी0 परियोजनाओं की निविदा स्वीकृतियों का अनुमोदन निम्न प्रकार किया जायेगा, परन्तु इसमें निविदा कमेटी की संस्तुति प्राप्त की जायेगी:–

क.सं.	कार्य		वित्तीय सीमा
1	परियोजना	(1) सी0ई0ओ0	₹ 20.00 करोड़ तक
		(2) बोर्ड	A) अधिकतम ₹ 20.00 करोड़ से ₹ 50.00 करोड़ तक B) ₹ 50.00 करोड़ से अधिक जोकि एच0पी0एस0सी0 की सहमति से होगा।
2	कन्सलटेन्सी	(1) सी0ई0ओ0	₹ 2.00 करोड़ तक
		(2) बोर्ड	A) ₹ 2.00 करोड़ से अधिक तथा ₹ 5.00 करोड़ तक B) ₹ 5.00 करोड़ से अधिक जोकि एच0पी0एस0सी0 की सहमति से होगा।
3	पी0पी0पी0 परियोजना	बोर्ड	A) ₹ 5.00 करोड़ तक B) ₹ 5.00 करोड़ से अधिक जोकि एच0पी0एस0सी0 की सहमति से होगा।

7– Deviation/Variation/Extra item/Price escalation का अनुमोदन प्रदान करना जिसमें व्यवस्था निम्नवत होगी:–

क.सं.	कार्य	सक्षम स्तर	वित्तीय सीमा
1	परियोजना एवं कन्सलटेन्सी	(1) सी0ई0ओ0	5 %
		(2) बोर्ड	A) 5 % से 10 % B) 10 % से अधिक जोकि एच0पी0एस0सी0 की सहमति से होगा।
2	पी0पी0पी0 परियोजना	बोर्ड	A) 5 % से कम B) 5 % से अधिक जोकि एच0पी0एस0सी0 की सहमति से होगा।

8– कम्पनी के मानव संसाधन के ढांचे का प्रथमबार निर्धारण कर अनुमोदन बोर्ड एवं एच0पी0एस0सी0 की संस्तुति के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा तदोपरान्त यथावश्यक परिवर्तन एच0पी0एस0सी0 की संस्तुति से बोर्ड द्वारा किया जा सकेगा।

9– कम्पनी की मानव संसाधन की आवश्यकता निर्धारण एवं नियुक्तियों के अनुमोदन का स्तर निम्नवत होगा :–

क्र.सं.		पद	
1	बोर्ड	A) समूह 'क'/समकक्ष पद	एच0पी0एस0सी0 के अनुमोदन के क्रम में पूर्ण अधिकार
		B) समूह 'ख'/समकक्ष पद	पूर्ण अधिकार
2	सी0ई0ओ0	समूह 'ग' एवं 'घ'/समकक्ष पद	पूर्ण अधिकार (बोर्ड का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे)

बोर्ड कम्पनी के समस्त कार्यों हेतु उत्तरदायी होगा। कम्पनी का निदेशक मण्डल उपरोक्त प्रस्तर–02 में उल्लिखित शर्तों के अधीन कम्पनी के सभी कार्यों हेतु पूर्णतया शक्ति सम्पन्न एवं उत्तरदायी होगा।

10– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 490/XXVII(2)/2017 दिनांक 14 दिसम्बर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(नितेश कुमार झा)
सचिव

संख्या– 1085 (i)/IV(2)-श0वि0–2017-74(सा0) 14 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास विभाग, नियोजन विभाग, लोक निर्माण विभाग, ऊर्जा विभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्व विभाग, आवास विभाग, पेयजल विभाग उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, मा0 मुख्यमत्री उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, गोपन (मंत्रिमण्डल) उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. स्टॉफ ऑफिसर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के सज्ञानार्थ प्रेषित।
7. अपर सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. जिलाधिकारी, देहरादून।
9. उपाध्यक्ष, एम0डी0डी0ए0, देहरादून।
10. निदेशक, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. मुख्य नगर नियोजक, ग्राम एवं नगर नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. शहरी विकास मत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि।
13. अपर निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
14. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून।
15. निजी सचिव, मा0 मंत्री, शहरी विकास विभाग को मा0 मत्री जी के सज्ञानार्थ।
16. निर्देशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
17. अनुभाग अधिकारी, शहरी विकास अनुभाग–2/वित्त अनुभाग–7/वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
18. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव